राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1712/2023
उम्मेद सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी 1 व 2 की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर : श्री बीबीएल शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 05.07.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतिक्षा में मुख्यालय कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जिला चुरू में उपस्थिति देने के लिए निर्देश दिये थे। अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क रहा है कि कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रतिबंध लगाया हुआ है और अपीलार्थी के संबंध में उसे एपीओ किये जाने का आदेश प्रतिबंध अवधि में जारी किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी केंसर की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं था।
2. उल्लेखनीय है कि इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 07.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी के संबंध में पारित आलौच्य आदेश दिनांक 05.07.2023 (अनुलग्नक–1) की क्रियान्विति अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रखी गई थी और यह भी आदेश दिया गया था कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जाये, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

3. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के संबंध में आलौच्य आदेश प्रशासनिक कारणों से पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। वर्तमान प्रकरण में इस अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07.07.2023 के आधार पर अपीलार्थी वहीं कार्यरत है, जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। आलौच्य आदेश पारित हुये 5 माह से अधिक समय हो चुका है। अतः लम्बे समय बाद एपीओ किये जाने के आदेश को प्रभाव प्रभाव दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

5. अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 05.07.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के संबंध में नियमानुसार नये सिरे से पदस्थापन/स्थानांतरण आदेश पारित के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)